[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION (INCOME TAX)

New Delhi, the Brd February, 2010.

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorizes Indian Railway Finance Corporation(IRFC) to issue, during Financial Year 2009-10, tax free secured, redeemable, non-convertible Railway Bonds of Rs. 1,000 each in case of public issue and Rs. 1,00,000 each in other cases, aggregating to an amount of five thousand crore rupees only, carrying an interest rate in the range of 6.50% to 7.25% per annum, depending upon the size and tenor of a tranche:

Provided that the benefit under the said item shall be admissible only if the holder of such bonds registers his or her name and the holding with the said Corporation.

[Notification No. 07 /2010 F.No.178/126/2009-ITA.I]

(Padam Singh) Under Secretary(ITA.I)

То

The Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri Industrial Area, (Near Rajouri Garden), New Delhi. [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।], खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी, 2010

अधिसूचना (आयकर)

का.आ. (अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (15) के उपखंड (iv) की मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) को वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान ट्रांचे के आकार एवं अवधि के आधार पर 6.50 से 7.25 की ब्याज दर वाले, सार्वजनिक निगम के मामले में 1000-1000 रू के तथा अन्य मामलों में 100000-100000 रूपए के, कुल मिलाकर केवल पांच हजार करोड़ रूपये के कर मुक्त प्रत्याभूत उन्मोचनीय, अप्रतिसंहार्य रेलवे बांड जारी करने के लिए अधिकृत करती है:

बशर्ते उक्त मद के अंतर्गत लाभ तभी ग्राह्य होगा जब ऐसे बाण्डों का धारक उक्त निगम के पास अपना नाम एवं धृति पंजीकृत कराएगा ।

[अधिसूचना सं. ७७ / /2010 फा.सं.178/126/2009-आ.क.नि.-।]

न्दद्धिः न्द्रिक्टिं (पदम सिंह) अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, (राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली